

मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन

आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा

नई दिल्ली-110012

दिनांक 21 मार्च, 2023

सेवा में

Sh. Amit Kumar Chatterjee
Chotonilpur, Purba Bardhaman-713103
(West Bengal)
Email : chatterjeeamit500@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री अमित कुमार चटर्जी, पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/E/24/00006 दिनांक 03-03-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

मांगी गई सूचना	जवाब
As per ATMA GUIDELINES, 2014 under NMAET, all ATMA staff are getting 10% annual increment (we have no DA, HRA allowance). But unfortunately, last 2 years our increment is stopped, the higher authority said that as per ATMA Guidelines, 2018 under Krishonnati Yojana (ANNEXURE II (a), page 60) we have crossed out upper ceiling (Rs. 3,60,000/ year for BTM and Rs. 3,00,000/ year for ATM and others) My question is : i. The upper ceiling (as per ATMA GUIDELINES, 2018 under Krishionnati Yojana (ANNEXURE II (a), page 60) is the initial salary or highest salary. ii. If the upper ceiling is the highest salary. If someone joins in 2020 are they eligible for getting increment or not? If not, then what is the meaning of 10% annual increment?	In so far as ATMA Scheme of Directorate of Extension is concerned , the issue "Whether ceiling mentioned in the heading of Annexure-II(a) of ATMA Guidelines, 2018 is initial salary or higher for initial fixation of emoluments or upper ceiling" is under examination in the Department.

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार)
विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा नं० 204,
कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012
दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया
21/3/2023
(दीपा पांडे)

उप० निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि :-

1. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।